

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2017-18 के दौरान हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय पहलुओं में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाई गई है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 22 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.90 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2017-18 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 6,08,471 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 2001 में 67.91 प्रतिशत थी जोकि 2011 में बढ़कर 75.60 प्रतिशत हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,96,982¹ थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक निश्चित समयावधि में आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी निर्मित सामानों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. में हुई बढ़ोतरी राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक बढ़ोतरी में प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं:

¹ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

तालिका 1.1: स.रा.घ.उ. की तुलना में स.घ.उ. की तुलनात्मक विवरणी


वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्य					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
पंजाब	11.56	6.91	9.85	9.81	10.03
उत्तराखंड	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,47,507	3,70,400	4,08,562	4,42,201	4,77,736
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.29	6.59	10.30	8.23	8.04

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

सरकार के वित्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

पिछले वर्ष (2016-17) की तुलना में चालू वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: 2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सार


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
भाग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	52,496.82	62,694.87	राजस्व व्यय	68,403.43	73,257.36
कर-राजस्व	34,025.68	41,099.38	सामान्य सेवाएं	21,630.79	26,698.68
कर-भिन्न राजस्व	6,196.09	9,112.85	सामाजिक सेवाएं	25,473.49	28,061.34
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	6,597.47	7,297.52	आर्थिक सेवाएं	20,875.21	18,106.82
भारत सरकार से अनुदान	5,677.58	5,185.12	सहायता अनुदान एवं अंशदान	423.94	390.52
भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26.27	39.87	पूंजीगत परिव्यय	6,863.10	13,537.90
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	973.23	6,340.93	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,514.91	1,394.89
लोक ऋण प्राप्तियां	28,169.52	21,489.76	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,275.84	6,338.85
आकस्मिक निधि	80.14	26.77	आकस्मिक निधि	80.14	26.77
लोक लेखा प्राप्तियां	32,107.64	33,894.25	लोक लेखा संवितरण	29,275.67	31,171.48
आरंभिक नकद शेष	6,217.73	5,658.26	अंतिम नकद शेष	5,658.26	4,417.46
कुल	1,20,071.35	1,30,144.71	कुल	1,20,071.35	1,30,144.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

2017-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं अनुप्रयोग का विवरण **चार्ट 1.2** और **चार्ट 1.3** में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2017-18 में राज्य के वित्तों के मूल मापदंडों (चार्ट 1.2 और 1.3) की गत वर्ष 2016-17 से तुलना नीचे दी गई है:

तालिका 1.3: मूल मापदण्ड

स्थिति संकेतक	कड़ी निगरानी वाले मापदण्ड
↑ कर राजस्व में 21 प्रतिशत की वृद्धि	↓ राजस्व व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि
↑ लोक ऋण प्राप्तियों में 24 प्रतिशत की कमी	↓ नकद शेष में ₹ 1,240.80 करोड़ की कमी

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भारत सरकार से जरूरी दिशानिर्देश न मिलने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अपेक्षित संशोधन नहीं किए गए।

चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. में 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रक्षेपित की है। चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विकास, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के लिए नए लक्ष्य नियत किए गए हैं।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय चर राशियों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)

राजकोषीय चर राशियां		2017-18						
		चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता		
						चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/ सरप्लस (+)	उदय सहित	(+) 0.81	(-) 1.80	(-) 1.86	(-) 1.74	(-) 2.55	(+) 0.06	(+) 0.12
	उदय को छोड़कर	--	(-) 0.94	(-) 0.97	(-) 1.39	--	(-) 0.45	(-) 0.42
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	उदय सहित	(-) 3.25	(-) 2.84	(-) 2.84	(-) 3.14	(+) 0.11	(-) 0.30	(-) 0.30
	उदय को छोड़कर	--	(-) 2.61	(-) 2.61	(-) 2.79	-	(-) 0.18	(-) 0.18
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात	उदय सहित	20.45	22.93	22.93	26.97	6.52	4.04	4.04
	उदय को छोड़कर	--	18.74	18.74	22.70	-	3.96	3.96


- चौ.वि.आ. की सिफारिश के अनुसार राज्य को राजस्व आधिक्य होना चाहिए और वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व आधिक्य का अनुमान ₹ 4,950 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.81 प्रतिशत) रखा गया था, जिसके विरुद्ध, वास्तविक रूप से, ₹ 10,562 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.74 प्रतिशत) का राजस्व घाटा हुआ। राज्य का राजस्व घाटा बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. (परिशिष्ट 1.6) में किए गए प्रक्षेपण के भीतर था।
- राजकोषीय घाटा चौ.वि.आ. की सिफारिशों के भीतर था, लेकिन बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक था। राज्य की बकाया देनदारियां स.रा.घ.उ. की 26.47 प्रतिशत थीं जोकि चौ.वि.आ. की सिफारिशों के साथ-साथ बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक थीं।

राज्य सरकार ने चौ.वि.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं किए थे। राज्य, राजस्व घाटे और बकाया ऋण के संबंध में चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी विफल रहा।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज किसी भी वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक राशियां चार्ट 1.4 में दी गई हैं।

चार्ट 1.4: चयनित राजकोषीय मानक: 2017-18 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



- ₹ 68,811 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 62,695 करोड़ (91.11 प्रतिशत) थी।

- कर प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 51,712 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्तियों के विरुद्ध केवल ₹ 48,397 करोड़ की प्राप्ति थी इसका मुख्य कारण वैट एवं जी.एस.टी. में ₹ 30,500 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध केवल ₹ 26,442 करोड़ की प्राप्ति थी। ₹ 6,100 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध राज्य उत्पाद शुल्क में ₹ 4,966 करोड़ की प्राप्ति थी।
- कर-भिन्न प्राप्तियां ₹ 17,099 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 14,298 करोड़ (83.62 प्रतिशत) थी मुख्यतः सड़क परिवहन (₹ 690 करोड़), शहरी विकास (₹ 139 करोड़) तथा शिक्षा (₹ 356 करोड़) में कम प्राप्तियां हुईं।
- सामाजिक सेवाओं (₹ 3,342.24 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 5,645.44 करोड़) में कम राजस्व व्यय हुआ। वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 79,936 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 6,679 करोड़ कम था। पेंशन पर ₹ 2,183.01 करोड़ के अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं में राजस्व व्यय ₹ 2,319.37 करोड़ अधिक हुआ था।
- ₹ 12,449 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 13,538 करोड़ था।
- सरकार राजस्व घाटे को ₹ 10,562 करोड़ के अनुमान के भीतर बनाए रखने में कामयाब रही।
- वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे अनुमान से अधिक थे।

राजस्व प्राप्ति बजट के लक्ष्यों से कम थी और राजस्व व्यय भी बजट अनुमानों से कम था। हालांकि राज्य सरकार राजस्व घाटे को बजट अनुमानों के भीतर रखने में सफल रही लेकिन चौ.वि.आ. के राजस्व आधिक्य राज्य के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत था जोकि 2.84 प्रतिशत के प्रक्षेपण से अधिक था।

1.1.4 उत्पलावकता अनुपात

उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दिए गए मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है। राजस्व प्राप्तियों, राज्य की अपनी कर प्राप्तियों, कुल व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.)					
वर्ष के दौरान आर.आर. (₹ करोड़ में)	38,012	40,799	47,557	52,497	62,695
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.02	7.33	16.56	10.39	19.43
स.रा.घ.उ. के संबंध में आर.आर. की उत्पलावकता	0.86	0.78	1.48	0.85	1.68
राज्य का अपना कर राजस्व (एस.ओ.टी.आर.)					
वर्ष के दौरान एस.ओ.टी.आर. (₹ करोड़ में)	25,567	27,635	30,929	34,026	41,099
एस.ओ.टी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.52	8.09	11.92	10.01	20.79
स.रा.घ.उ. के साथ एस.ओ.टी.आर. की उत्पलावकता	0.57	0.86	1.07	0.82	1.80
कुल व्यय (टी.ई.)					
वर्ष के दौरान टी.ई. (₹ करोड़ में)	46,598	53,677	79,394	79,781	88,190
टी.ई. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.05	15.19	47.91	0.49	10.54
स.रा.घ.उ. के साथ टी.ई. की उत्पलावकता	0.34	1.61	4.28	0.04	0.91
राजकोषीय देयताएं (एफ.एल.)					
वर्ष की समाप्ति पर एफ.एल. (₹ करोड़ में)	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076
एफ.एल. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.66	15.97	36.49	21.25	12.10
स.रा.घ.उ. के साथ एफ.एल. की उत्पलावकता	1.17	1.69	3.26	1.74	1.04



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में आर.आर. और एस.ओ.टी.आर. की उत्पलावकता 2017-18 के दौरान अधिक थी। यह इंगित करता है कि 2017-18 के दौरान आर.आर. की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से अधिक थी। कुल व्यय की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी जबकि राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. से अधिक थी।

1.2 वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से एकत्रित राशि शामिल होती हैं। तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है। जबकि चार्ट 1.6 2013-18 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है। चार्ट 1.5 तथा चार्ट 1.7 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।


चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 2,723 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 33,894 करोड़) घटा लोक लेखा संवितरण (₹ 31,171 करोड़)।


सरकार की कुल प्राप्ति 2013-18 के दौरान ₹ 35,413 करोड़ (61.19 प्रतिशत) बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 24,683 करोड़ (64.93 प्रतिशत) बढ़ गई। पूँजीगत प्राप्ति, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 9,995 करोड़ (55.91 प्रतिशत) बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 735 करोड़ (36.97 प्रतिशत) बढ़ गई।



कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2013-14 में 65.68 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़कर 67.20 प्रतिशत हो गया। 2013-18 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 3.43 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2.92 प्रतिशत हो गया तथा ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा भी 30.89 प्रतिशत से घटकर 29.88 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्ति

2013-18 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट 1.8** में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्ति 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान 64.93 प्रतिशत बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना राजस्व 60.75 प्रतिशत, भारत सरकार से सहायता अनुदान 25.64 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर अंतरण 118.31 प्रतिशत बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2013-14 तथा 2017-18 के दौरान 80 प्रतिशत रहा। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2013-14 में 10.86 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 8.27 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का हिस्सा 2013-14 से 2017-18 के दौरान 8.80 प्रतिशत से बढ़कर 11.64 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 19.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मुख्य रूप से कर राजस्व में ₹ 7,073.70 करोड़ (20.79 प्रतिशत) और कर-भिन्न राजस्व में ₹ 2,916.76 करोड़ (47.07 प्रतिशत) के साथ-साथ भारत सरकार से संघीय करों और शुल्कों की हिस्सेदारी में वृद्धि ₹ 700.05 करोड़ (10.61 प्रतिशत) के कारण हुआ था। यह वृद्धि भारत सरकार से सहायतानुदान में आंशिक कमी ₹ 492.46 करोड़ (8.67 प्रतिशत) से संतुलित हो गई थी। स.रा.घ.उ. के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.6: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	38,012	40,799	47,557	5,2497	62,695
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.02	7.33	16.56	10.39	19.43
एस.ओ.टी.आर. (₹ करोड़ में)	25,567	27,635	30,929	34,026	41,099
एस.ओ.टी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.52	8.09	11.92	10.01	20.79

चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 19.4 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (*परिशिष्ट 1.1*)।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.7 में दी गई हैं।

तालिका 1.7: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	57,315	43,340 ²	43,340	41,099	(-) 28.29	(-) 5.17	(-) 5.17
कर-भिन्न राजस्व	4,544	10,081 ³	10,082	9,113	100.55	(-) 9.60	(-) 9.60

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 28.29 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 5.17 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 100.55 प्रतिशत अधिक थी किंतु बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 9.60 प्रतिशत कम रही।

इस प्रकार, राज्य सरकार बजट और म.अ.रा.नी.वि. में अपने अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

² केन्द्रीय करों का हिस्सा छोड़कर।

³ सहायता अनुदान का हिस्सा छोड़कर।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों में सकल संग्रहण तालिका 1.8 में दिए गए हैं जो 2013-18 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.8: राज्य के अपने स्रोतों के घटक


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)	23,488.41 (12)	15,608.92 (-34)
जी.एस.टी.	-	-	-	-	10,833.43
राज्य उत्पाद शुल्क	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)	4,371.08 (26)	4,613.13 (6)	4,966.21 (8)
वाहनों पर कर	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)	1,400.38 (18)	1,583.06 (13)	2,777.57 (75)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)	3,191.21 (3)	3,282.63 (3)	4,192.49 (28)
भू-राजस्व	12.42 (-4)	15.28 (23)	14.97 (-2)	16.09 (7)	18.07 (12)
माल तथा यात्रियों पर कर	497.45 (6)	527.07 (6)	554.25 (5)	594.59 (7)	2,317.47 (290)
अन्य कर ⁴	287.71 (16)	328.32 (14)	336.97 (3)	4,47.77 (33)	385.22 (-14)
कुल	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)	34,025.68 (10)	41,099.38 (21)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2013-18 के दौरान कर राजस्व ₹ 15,532.78 करोड़ (60.75 प्रतिशत) बढ़ गया। 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. के लागू होने के पश्चात 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की। वर्ष 2017-18 के दौरान माल एवं यात्रियों पर करों के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति में ₹ 1,722.88 करोड़ की वृद्धि एकबारगी निपटान प्रोत्साहन योजना⁵ के कारण थी।



2013-17 के दौरान हरियाणा का अपना कर-स.रा.घ.उ. अनुपात पंजाब और उत्तर प्रदेश से कम था। हालांकि, 2017-18 के दौरान पंजाब के (6.46 प्रतिशत) की तुलना में हरियाणा का अपना कर-स.रा.घ.उ. अनुपात 6.75 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था।

⁴ अन्य करों में, कृषि भूमि के सिवाय अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

⁵ राज्य सरकार ने बकाया देयों की वसूली के लिए "हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम" शुरू की (जून 2017), जिसमें बकाया देयों के भुगतान पर जुर्माना और ब्याज की माफी प्रदान की।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जी.एस.टी. (राज्यों के मुआवजे) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। मुआवजे की गणना भारत के सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया था। हरियाणा के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 15,230.59 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) लागू करके की जानी थी।

आधार वर्ष के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 14,845.26⁶ करोड़ था। वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे में जी.एस.टी. की प्राप्ति के आंकड़े, प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा (एस.जी.एस.टी.) कर, एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, आई.जी.एस.टी. का विभाजन तथा आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन के रूप में चित्रित किए गए हैं। ₹ 14,845.26 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति, जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है, ₹ 10,943.02 करोड़ तथा मुआवजा राशि ₹ 1,199 करोड़ रही। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2018 को मुआवजे की प्राप्ति में ₹ 2,703.24 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.9: माह-वार प्राप्त जी.एस.टी. एवं मुआवजा प्राप्ति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जी.एस.टी. से पहले एकत्र कर	एकत्र एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. का अनन्तिम विभाजन	कुल राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी (+)/ सरप्लस (-)
जुलाई 2017	1649.47	51.22	0.20	0.00	51.42	0.00	1598.05
अगस्त-2017	1649.47	1.84	159.85	-286.67	-124.98	0.00	1774.45
सितंबर-2017	1649.47	1.21	1087.72	113.76	1202.69	476.00	-29.22
अक्टूबर-2017	1649.47	1.20	718.07	232.71	951.98	0.00	697.49
नवंबर-2017	1649.47	1.12	1033.62	152.64	1187.38	325.00	137.09
दिसंबर-2017	1649.47	11.23	1426.45	380.45	1818.13	0.00	-168.66
जनवरी-2018	1649.47	1.13	964.07	351.99	1317.19	0.00	332.28
फरवरी-2018	1649.47	3.40	1311.33	1069.50 ⁷	2384.23	0.00	-734.76
मार्च-2018	1649.47	37.23	1823.50	294.25	2154.98	398.00	-903.51
कुल	14845.26	109.58	8524.81	2308.63	10943.02	1199.00	2703.24

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. व हक.) हरियाणा से सूचना

⁶ 2017-18 के लिए ₹ 15,230.59 x (1+ 14/100)² = ₹ 19,793.675 करोड़ तथा नौ महीने के लिए = ₹ 19,793.675 करोड़ x 3/4 = ₹ 14,845.26 करोड़

⁷ इसमें आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के कारण प्राप्त ₹ 667 करोड़ शामिल हैं।

आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन

भारत सरकार, आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आई.जी.एस.टी. का वितरण करती है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा.स.) द्वारा फरवरी 2018 में ₹ 667 करोड़ अनंतिम/अग्रिम विभाजन की मंजूरी प्रदान की। यह राशि वर्ष 2018-19 में आई.जी.एस.टी. के नियमित निपटान में से दस बराबर किस्तों में समायोजित की जानी है। पहला समायोजन अप्रैल 2018 की किस्त से किया जाना था। परंतु, भारत सरकार ने नवंबर-दिसंबर 2017 में राज्य को प्रदान किए गए द्विमासिक मुआवजे से ₹ 667 करोड़ को समायोजित किया। भारत सरकार ने इस द्विमासिक अवधि के लिए मुआवजा जारी नहीं किया।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.10 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।


तालिका 1.10: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2015-16	21,060.23	128.50	0.61	0.66
	2016-17	23,488.41	141.80	0.60	0.69
	2017-18	15,608.92	147.94	0.95	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2015-16	1,400.38	18.72	1.34	4.99
	2016-17	1,583.06	28.57	1.80	2.61
	2017-18	2,777.57	38.23	1.38	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2015-16	4,371.08	31.08	0.71	3.21
	2016-17	4,613.13	34.63	0.75	2.01
	2017-18	4,966.21	42.33	0.85	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2015-16	3,191.21	15.37	0.48	2.87
	2016-17	3,282.63	10.50	0.32	2.99
	2017-18	4,192.49	9.82	0.23	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2013-18) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.10 तथा तालिका 1.11 में दी गई है जोकि 2013-18 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.11: 2013-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्ति	1,090.71 (3)	933.59 (-14)	1,087.49 (16)	2,309.79 (112)	2,227.82 (-4)
लाभांश तथा लाभ	6.49 (-8)	5.80 (-11)	15.89 (174)	5.89 (-63)	7.53 (28)
अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	3,877.86 (7)	3,673.73 (-5)	3,649.10 (-1)	3,880.41 (6)	6,877.50 (77)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	95	129	110	113	132
बी) सड़क परिवहन	1,098	1,235	1,255	1,265	1,280
सी) शहरी विकास	1,105	861	422	599	2,861
डी) शिक्षा	319	564	637	640	674
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	79	43	272	497	713
कुल	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)	6,196.09 (30)	9,112.85 (47)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2013-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्ति ₹ 4,137.79 करोड़ (83.17 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 9,112.85 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,916.76 करोड़ (47.07 प्रतिशत) बढ़ गया जोकि मुख्यतः शहरी विकास विभाग⁸ और अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व द्वारा राजस्व प्राप्ति का 14.54 प्रतिशत का संघटित किया गया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायतानुदान प्रदान करने के लिए योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया तथा प्रमुख शीर्ष-1601 सहायतानुदान (जी.आई.ए.) के अंतर्गत नए उप-प्रमुख शीर्षों का संचालन किया गया। भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से ₹ 492.46 करोड़ तक घट गए जैसा कि तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

⁸ राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, मई 2017 से बाहरी विकास प्रभार राज्य की समेकित निधि में मुख्य शीर्ष 0217 के अंतर्गत जमा किए जाने शुरू हो गए थे, जो पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) के पास जमा किए जाते थे।

तालिका 1.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजनागत अनुदान	2,256.17	1,723.20	3,744.39	3,078.49	-
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	856.66	2,815.36	2,268.18	2,327.52	-
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	62.99	24.57	27.53	34.50	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	951.36	439.75	338.66	237.07	2,326.62
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	1,316.68
जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उद्भूत राजस्व की हानि के लिए मुआवजा					1,199.00
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	-	-	342.82
कुल	4,127.18	5,002.88	6,378.76	5,677.58	5,185.12
	(76)	(21)	(28)	(-11)	(-9)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से सहायतानुदान ₹ 5,677.58 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹ 5,185.12 करोड़ (2017-18) प्राप्त हुआ, जिसमें जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के बदले ₹ 1,199 करोड़ का मुआवजा भी शामिल था।

1.3.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियां हस्तांतरित कर रही है। भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया। तथापि, 2017-18 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ₹ 3,226.60 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि तालिका 1.13 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.13: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1.	स्वायत्त आर. एंड डी. संस्था	(i) पंजीकृत सोसायटी, (ii) सांविधिक निकाय	97.34
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	254.54
3.	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	32.74
4.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम.पी.एल.ए.डी.एस.	उपायुक्त	75.00
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	11.88
6.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड.	350.00
7.	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास विभाग	(i) पंजीकृत सोसायटी (ii) वैधानिक निकाय (iii) राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम (iv) सरकारी स्वायत्त निकाय (v) सरकारी संस्थान	156.86
8.	घनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.एस.) को सहायता	एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	152.29
9.	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम	541.99
10.	दिव्यांग व्यक्ति एस.जे.ई. (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	12.70
11.	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	31.89

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
12.	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद	29.16
13.	खाद्य प्रसंस्करण सी.एस. राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम	24.84
14.	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	57.20
15.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) को सहायता	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	132.80
16.	क्षमता निर्माण: पंचायत सशक्तिकरण अभियान	मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	10.55
17.	एकीकृत बिजली विकास योजना	भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	65.70
18.	स्वदेश दर्शन-एकीकृत विकास थीम आधारित पर्यटन सकिट	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	13.60
19.	यूरिया फ्रेट सब्सिडी के लिए भूगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	190.80
20.	आयातित पी. एंड के. उर्वरकों के लिए भूगतान	मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	513.87
21.	औद्योगिक और उद्यमिता विकास	जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र	46.19
22.	नई मंज़िल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	10.22
23.	रोड विंग के अंतर्गत कार्य	इंड्र. धतरवाल कंस्ट्रक्शन, आदि	214.59
24.	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	39.09
25.	अन्य स्कीमें	-	160.76
		कुल	3,226.60

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

राज्य में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, जिसमें केंद्रीय निकायों और राज्य सरकार के दायरे से बाहर के अन्य संगठन शामिल थे, को भारत सरकार द्वारा ₹ 3,756.60 करोड़ की कुल निधियां हस्तांतरित की गई जिसमें से ₹ 3,226.60 करोड़ (86 प्रतिशत) की राशि राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई थी।

1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2016-17 में ₹ 6,597.47 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 7,297.52 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2016-17 के लिए वास्तविक	2017-18 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	2,118.57	2,235.92	117.35
आयकर	32 प्रतिशत की	1,472.41	1,888.08	415.67
धन कर	तूलना में राज्यों	4.85	-0.07	(-) 4.92
सीमा शुल्क	को केंद्रीय करों की	911.33	736.90	(-) 174.43
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	हिस्से योग्य राशि	1,040.65	770.20	(-) 270.45
सेवाकर	का 42 प्रतिशत	1,049.64	825.05	(-) 224.59
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		0.02	-	(-) 0.02
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)		-	104.36	104.36
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)			737.08	737.08
कुल		6,597.47	7,297.52	700.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था।

2017-18 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 7,297.52 करोड़) 2016-17 की तुलना में ₹ 700.05 करोड़ अधिक था, लेकिन यह राशि बजट अनुमान 2017-18 (₹ 8,371.78 करोड़) की तुलना में ₹ 1,074.26 करोड़ कम थी।

1.3.5 सेस लगाकर सृजित निधि

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी बजट के स्थान पर नोमिनेटिड निधियों द्वारा लोक व्यय करके विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की है।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर खर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,069.70 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2016-17 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 420.18 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रम कल्याण योजनाओं पर ₹ 77.99 करोड़ सहित ₹ 82.72 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2017 तक बोर्ड के पास ₹ 2,407.16 करोड़ की निधियां थी।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-17 के दौरान प्राप्तियां ₹ 3,068.82 करोड़ थी तथा किया गया व्यय ₹ 2,468.28 करोड़ था। चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा का इन निधियों पर कोई नियंत्रण नहीं था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राजस्व प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा हों और राज्य विधानसभा की स्वीकृति के बाद व्यय हों।

1.3.6 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में निधियों का आबंटन तथा किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन, निधियों का आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2016-17			2017-18		
	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	427.96	429.04	301.21	536.84	305.45	536.84
राष्ट्रीय आपदा के कारण राहत-एस.डी.आर.एफ.	357.75	357.75	357.75	254.25	254.25	254.25
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	656.72	656.72	656.72	756.98	756.98	756.98
कुल	1,442.43	1,443.51	1,315.68	1,548.07	1,316.68	1,548.07

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, ऋणों की प्राप्तियां (आंतरिक एवं भारत सरकार से) तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2013-18) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.16 में दिए गए हैं।

तालिका 1.16: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	17,875.90	19,150.31	38,356.69	29,169.02	27,870.56
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74	29.98	26.27	39.87
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	261.85	272.82	328.28	973.23	6,340.93
लोक ऋण प्राप्तियां	17,604.16	18,858.75	37,998.43	28,169.52	21,489.76
बाजार ऋण	11,446.18	13,200.00	14,099.99	15,800.00	16,639.49
बॉण्ड्स	0.00	0.00	17,300.00	8,650.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,777.60	4,102.79	4,641.45	3,412.39	4,525.43
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	566.60	1,251.31	1,721.40	-	-
अन्य ऋण	472.31	173.89	138.36	183.87	104.35
भारत सरकार से ऋण	341.47	130.76	97.23	123.26	141.01
लोक ऋण प्राप्ति से बाजार ऋण की प्रतिशतता	65.02	69.99	37.11	56.09	77.43
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की	16	7	101	(-) 26	(-) 24
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की	(-) 25	7	23	179	538
स.रा.घ.उ. की	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
पूंजीगत प्राप्तियों की	15	7	100	(-) 24	(-) 4

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा बॉण्ड्स तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से

उठाए गए कम ऋणों के कारण 2016-17 में 56.09 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 77.43 प्रतिशत हो गया। मुख्यतः ऊर्जा कंपनियों के ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण गैर-ऋण प्राप्तियां (₹ 6,380.80 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 538 प्रतिशत बढ़ गई। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को कुल संवितरण कंपनियों की देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिग्रहित करने के लिए 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए।

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2017-18 के दौरान 16 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 39.87 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 26.27 करोड़) से 51.77 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

2013-18 के दौरान संवितरित किए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: 2013-18 के दौरान संवितरित और वसूले गए ऋण

(₹ करोड़ में)					
संवितरित और वसूले गए ऋण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारंभिक शेष	3,488	4,002	4,572	17,494	21,036
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	776	843	13,250	4,515	1,395
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	262	273	328	973	6,341
अंतिम शेष	4,002	4,572	17,494	21,036	16,090
निवल जोड़	514	570	12,922	3,542	(-)4,946
सहकारी शुगर मिलों को संवितरित और वसूले गए ऋण					
प्रारंभिक शेष	882	1,029	1,213	1,869	2,111
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	150	190	646	252	200
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	3	6	-	-	7
अंतिम शेष	1,029	1,213	1,869	2,111	2,304

वर्ष के दौरान ₹ 6,340.93 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इसमें से ₹ 206.87 करोड़ हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक से वसूल किए गए थे तथा ₹ 93.19 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों से ₹ 6,007.49 करोड़ वसूल किए गए थे। जिसमें से ₹ 5,190 करोड़ राज्य सरकार द्वारा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके वसूल किए गए थे। ऋण और अग्रिमों की वास्तविक वसूली ₹ 1,150.93 करोड़, जोकि बकाया ऋणों का केवल एक अंश (5.47 प्रतिशत) थी, हालांकि पहले के वर्षों की तुलना में यह अधिक है।

31 मार्च 2017 को सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध ₹ 2,110.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने ₹ 200 करोड़ के नए ऋण वितरित किए और 2017-18 के दौरान केवल ₹ सात करोड़ वसूल किए परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 को कुल ₹ 2,303.90 करोड़ के ऋण बकाया हो गए थे। सहकारी शुगर मिलों को सभी ऋण इस शर्त पर वितरित किए गए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान न करने पर नया

ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। तथापि, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना शुगर मिलों को ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे।

चूंकि सहकारी शुगर मिलों से इन ऋणों की वसूली बहुत खराब रही है तथा ये ऋण वसूल नहीं किए गए हैं और अनुदान की प्रकृति में हैं। इसलिए इनका ऋण के रूप में लेखांकन करने से राजस्व व्यय का अवकथन तथा पूंजीगत व्यय का अतिकथन हुआ।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्ति के रूप में ₹ 21,348.75 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 28,046.26 करोड़) से ₹ 6,697.51 करोड़ (24 प्रतिशत) कम थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 16,639.49 करोड़, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 4,525.43 करोड़ के ऋण 2017-18 के दौरान उठाए गए थे।

बाजार ऋणों में प्रवृत्तियों के विवरण अनुच्छेद 1.10 में दिए गए हैं।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम 2016-17 में ₹ 1,985.86 करोड़ से ₹ 44.59 करोड़ घटकर 2017-18 में ₹ 1,941.27 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 141.01 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 185.60 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियां, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.18 में दी गई हैं।

तालिका: 1.18: 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्ति एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्ति के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्ति का आधिक्य	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,034.08	3,342.50	1,919.20	2,116.18	1,114.88	1,226.32
बी) आरक्षित निधि	1,593.64	973.29	48.91	153.65	1,544.73	819.64
सी) डिपोजिट	19,488.27	20,577.88	19,490.39	19,924.33	(-)2.12	653.55
डी) अग्रिम	9.09	1.99	9.09	1.99	-	-
ई) उच्यंत तथा विविध	848.36	900.54	731.54	852.20	116.82	48.34
एफ) प्रेषण	7,134.20	8,098.05	7,076.54	8,123.14	57.66	(-) 25.09
कुल	32,107.64	33,894.25	29,275.67	31,171.49	2,831.97	2,722.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)


समेकित सिंकिंग निधि (आरक्षित निधि का एक हिस्सा) में ₹ 811.80 करोड़ की अपेक्षित राशि का योगदान न करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में निवल लोक लेखा प्राप्ति में 3.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, ब्याज भुगतान, सब्सिडीयां, पेंशन भुगतान पर व्यय) तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन


गत पांच वर्षों (2013-18) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैं:



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2013-18) की अवधि में कुल व्यय 89.26 प्रतिशत बढ़ गया। व्यय पिछले वर्ष से 10.54 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2017-18 में मुख्यतः डिस्कॉमज के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण पूंजीगत व्यय 244.04 प्रतिशत बढ़ गया।


2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण 79.77 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2017-18 के दौरान विद्युत कंपनियों को ₹ 887.47 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ₹ 150 करोड़, सहकारी शुगर मिलों को ₹ 200 करोड़ तथा सरकारी कर्मचारियों को ₹ 121.07 करोड़ के ऋण संवितरित किए गए थे।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 83.07 प्रतिशत था जो 2016-17 से कम था जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2013-14 में 8.44 प्रतिशत से

2017-18 में 15.35 प्रतिशत तक बढ़ गया। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2013-14 में 1.67 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 16.69 प्रतिशत हो गया किंतु 2017-18 में 1.58 प्रतिशत तक घट गया।



ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा पिछले वर्ष में 27 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 31 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि सामाजिक सेवाओं का हिस्सा जो 2013-14 से 2014-15 के दौरान बढ़ा, 2015-16 से स्थिर रहा। आर्थिक सेवाएं 2016-17 में 38 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 33 प्रतिशत रह गईं। उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जो विकास व्यय को निरूपित करता है, भी इस अवधि के दौरान लगभग 68 से 69 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.19 पांच वर्षों (2013-18) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	41,887	49,118	59,236	68,403	73,257
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10	17	21	15	7
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	10	11	12	12	12

2013-18 के दौरान राजस्व व्यय 7 से 21 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 31,370 करोड़ (75 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु 2013-18 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ी।

राजस्व व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ से 7 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 73,257 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशन (₹ 3,123.79 करोड़) एवं पुलिस सेवाओं (₹ 361.55 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,419.36 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 5,067.88 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 722.52 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 274.03 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 315.44 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास (₹ 1,253.78 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 2,587.85 करोड़ तक बढ़ गया। सब्सिडी पर अधिक

व्यय (₹ 991.14 करोड़) परन्तु विद्युत क्षेत्र को सहायता अनुदान (₹ 3,889.66 करोड़) की कमी के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 2,768.39 करोड़ तक घट गया।

2017-18 में ₹ 73,257 करोड़ का राजस्व व्यय म.अ.रा.नी.वि. (₹ 79,936 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य चौ.वि.आ. (₹ 56,909 करोड़) के मानक के भीतर राजस्व व्यय को नहीं रख सका, जिसके कारण राज्य राजस्व आधिक्य राज्य नहीं बन पाया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सब्सिडीयों पर व्यय शामिल हैं। 2013-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.20 एवं चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां	11,816 (31)	14,359 (35)	15,294 (32)	17,321 (33)	18,706	18,632*
ब्याज भुगतान	5,850 (15)	6,928 (17)	8,284 (17)	10,542 (20)	11,257	11,961 (19)
पेंशनों पर व्यय	4,169 (11)	4,602 (11)	5,413 (11)	5,659 (11)	6,600	8,783 (14)
सब्सिडीज	5,681 (15)	5,693 (14)	6,899 (15)	7,654 (15)	8,443	8,446 (13)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	27,516	31,582	35,890	41,176	45,006	47,822
राजस्व व्यय	41,887	49,118	59,236	68,413		73,257
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	66	64	61	60		65
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	72	77	75	78		76

(स्रोत: वित्त लेखे तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सूचना)

* ₹ 303.50 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 39,072 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 37,892 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,180 करोड़ (3.11 प्रतिशत) अधिक था तथा राजस्व प्राप्तियों का 62 प्रतिशत इन पर उपयोग किया गया था।

वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सब्सिडी पर प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में 2017-18 में लगभग 65 प्रतिशत भाग था जबकि यह गत वर्ष में 60 प्रतिशत था।

वेतनों पर व्यय

2013-14 से 2017-18 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 18,632 करोड़) 57.68 प्रतिशत बढ़ गया। 2008-09 से 2016-17 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 12.9 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (13.4 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 7.6 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 18,328 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 20,034 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पांच वर्ष (2013-18) की अवधि में 104.46 प्रतिशत (₹ 11,961 करोड़) बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹ 1,419 करोड़ (13.46 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2013-14 में 15.39 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 19.08 प्रतिशत हो गई। 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 10,499 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 11,257 करोड़) से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़

सब्सिडीज़ पर भुगतान 2013-14 में ₹ 5,681 करोड़ से ₹ 2,765 करोड़ (48.67 प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 8,446 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13.47 प्रतिशत था। ₹ 8,446 करोड़ की कुल सब्सिडीज़ में से ₹ 7,624.49 करोड़ (90 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सब्सिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,230 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। कुछ मामलों में, राज्य सरकार ने या तो बिना ब्याज या प्रचलित ब्याज दरों से कम दर पर ऋण वितरित किया है, जिसका अर्थ है अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की गई जैसा कि तालिका 1.21 में वर्णित हैं। इस प्रकार, सब्सिडी, जो प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा है, उस सीमा तक कम वर्णित की गई।

तालिका 1.21: कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	आवास सहकारी संस्थाओं को ऋण	3.00	3.00
2.	राजस्व अर्जित करने वाली स्कीमों के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण	0.32	0.32
3.	स्थगित बिक्री कर/वैट की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	30.00	30.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 8,783 करोड़) 110.67 प्रतिशत तक बढ़ गया जोकि राजस्व प्राप्तियों का 14.01 प्रतिशत था। अधिवर्षिता पेंशन: ₹ 622.94 करोड़, पेंशन संराशीकरण: ₹ 891.87 करोड़, ग्रेच्युटी: ₹ 118.90 करोड़ और परिवार पेंशन: ₹ 111.05 करोड़ के लिए पूरक प्रावधानों में वृद्धि के कारण 2017-18 में पेंशन भुगतानों पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 5,990 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,600.22 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक हुआ था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को कम करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

नई पेंशन स्कीम

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के पात्र हैं। स्कीम के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के पास कर्मचारी योगदान ₹ 479.94 करोड़ और नियोक्ता के हिस्से ₹ 460.44 करोड़ के विरुद्ध ₹ 975.76 करोड़ जमा किए। इस प्रकार, परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए ₹ 19.50⁹ करोड़ का योगदान कम किया गया। 31 मार्च, 2018 को सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य शीर्ष 8342 - अन्य डिपॉजिट, लघु शीर्ष 117 - परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के तहत ₹ 14.54 करोड़ का बकाया शेष था। इसके शुरू होने के बाद से निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था। असंग्रहित, राज्य सरकार द्वारा देय और अहस्तांतरित राशियां ब्याज सहित बकाया देयताओं को दर्शाती है।

सरकार द्वारा बकाया राशियां, ऐसी ब्याज दर के साथ जो भविष्य निधि की ब्याज दर से कम न हो, जमा करवानी चाहिए।

फलैगशिप स्कीम/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति

फलैगशिप स्कीम/कार्यक्रम, राष्ट्र के समावेशी विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा सरकार, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को फलैगशिप स्कीमों के लिए 2017-18 के दौरान तालिका 1.22 में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

⁹ ₹ 479.94 करोड़ - ₹ 460.44 करोड़ = ₹ 19.50 करोड़

तालिका 1.22: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान	व्यय			व्यय की प्रतिशतता
			राज्य	केंद्र	कुल	
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	710.00	224.95	120.02	344.97	49
2	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)	141.90	45.00	53.21	98.21	69
3	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	302.00	71.13	106.69	177.82	59
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (रा.ग्रा.रो.गा.स्की.)	184.00	32.00	168.77	200.77	109
5	स्वच्छ भारत	275.50	0.00	39.66	39.66	14
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.00	13.50	20.50	34.00	-
7	सर्व शिक्षा अभियान	889.65	265.37	400.70	666.07	75
8	मिड-डे-मील	345.00	140.47	119.95	260.42	75
9	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	500.00	225.09	211.84	436.93	87
10	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	262.90	74.62	90.73	165.35	63
11	ए.एम.आर.यू.टी. जिसे पहले जे.एन.एन.यू.आर.एम. के नाम से जाना जाता था	500.20	72.17	68.56	140.73	28
12	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	3,398.45	3,560.16	87.50	3,647.66	107
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	562.98	132.75	173.13	305.88	54
	कुल	8,072.58	4,857.21	1,661.26	6,518.47	81

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

फलैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 2017-18 के लिए ₹ 8,072.58 करोड़ के बजट अनुमानों में से राज्य ने ₹ 6,518.47 करोड़ (81 प्रतिशत) उपयोग किए। 13 फलैगशिप स्कीमों में से सात में बजट का उपयोग 70 प्रतिशत से कम था।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	783.66	1,809.77	1,984.67	2,130.56	2,102.96	2,102.96	-
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	1,120.80	744.63	1,045.99	1,585.77	2,466.82	2,466.82	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	1,263.49	1,192.04	1,261.94	2,263.80	2,283.57	2,283.43	(-) 0.01
विकास अभिकरण	523.36	723.72	878.09	757.94	882.54	868.04	(-) 1.64
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	518.83	979.70	1,010.97	1,117.68	1,101.39	1,101.14	(-) 0.02
अन्य संस्थाएं	329.53	656.14	4,584.31	4,791.39	1,019.41	1,021.92	0.25
कुल	4,539.67	6,106.00	10,765.97	12,647.14	9,856.69	9,844.31	(-) 0.13
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	11	12	18	18		13	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.23 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2013-14 में ₹ 4,539.67 करोड़ से 2017-18 के दौरान ₹ 9,844.31 करोड़ तक बढ़ गई जोकि राजस्व व्यय का 13.44 प्रतिशत थी। अन्य संस्थाओं को संवितरण में कमी (₹ 3,769.47 करोड़) के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 2,802.83 करोड़ (22.16 प्रतिशत) घट गई। ₹ 9,856.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9,844.31 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं, विकास एजेंसियों तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.01 और 1.64 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता


राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान) व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। **तालिका 1.24** तथा **चार्ट 1.15**, 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.24: 2013-14 और 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	विकास व्यय [#] / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2013-14	11.7	69.3	37.0	8.4	16.2	3.8
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	14.7	66.5	37.6	13.6	17.2	4.5
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2017-18	14.5	68.6	35.4	15.4	13.8	3.8
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	16.1	67.9	36.7	14.4	15.5	4.9
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। स.रा.घ.उ. का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा ।						



राजकोषीय प्राथमिकता:

हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2013-14 में 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 14.5 प्रतिशत हो गया जो सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में कम था।

विकास व्यय पर प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी। तथापि, 2013-14 की तुलना में 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र व्यय से कुल व्यय का अनुपात घटा और सामान्य श्रेणी राज्य औसत से कम था। 2013-14 की तुलना में 2017-18 में शिक्षा पर व्यय का अनुपात घट गया और वह सामान्य श्रेणी राज्य औसत से कम था। स्वास्थ्य पर व्यय भी सामान्य श्रेणी राज्य औसत से कम था।

डिस्कॉमज के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 2017-18 में पूंजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात बढ़ा है।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा अत्यावश्यक लोकहितार्थ कार्यों को महत्त्व देना आवश्यक है। व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से अनुपात और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा आंकी जाती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर ऋणों एवं अग्रिमों सहित, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय को विकास व्यय में शामिल माना जाता है। तालिका 1.25, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.26 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.25: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	32,300 (69)	36,180 (67)	59,652 (75)	57,258 (72)	66,881	60,499 (69)
क) विकास राजस्व व्यय	28,154 (60)	32,208 (60)	40,229 (51)	46,348 (58)	55,156	46,168 (52)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	3,653 (8)	3,425 (6)	6,448 (8)	6,464 (8)	10,501	13,057 (15)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	493 (1)	547 (1)	12,975 (16)	4,446 (6)	1,224	1,274 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विकास व्यय 87.30 प्रतिशत बढ़ गया। यह व्यय, जोकि कुल व्यय का 69 प्रतिशत था, 2016-17 में ₹ 57,258 करोड़ से ₹ 3,241 करोड़ (5.66 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि के साथ 2017-18 में बढ़कर ₹ 60,499 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों का विकास व्यय में क्रमशः 76 तथा 2 प्रतिशत हिस्सा था जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 22 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत परियोजनाओं को कम ऋण संवितरण करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम ₹ 3,172 करोड़ घट गए। ₹ 66,881 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 60,499 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 90.46 प्रतिशत है।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2016-17			2017-18		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.013	66.51	0.19	0.033	69.46	0.09
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.080	48.31	0.09	0.090	46.82	0.18
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.183	14.19	6.53	0.278	11.10	5.47
कुल (सा.से.)	0.071	50.88	1.73	0.124	49.76	1.61
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.141	34.22	1.43	0.331	32.00	1.18
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.396	9.05	12.78	0.400	4.97	10.65
विद्युत एवं ऊर्जा	0.153	0.02	-*	0.417	0.02	-
परिवहन	0.360	41.38	3.33	0.380	45.68	3.04
कुल (आ.से.)	0.218	12.50	1.80	0.394	15.45	1.87
कुल (सा.से. + आ.से.)	0.149	32.29	1.76	0.261	35.46	1.72

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व र.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2016-17 में 0.071 से बढ़कर 2017-18 में 0.124 हो गया। कुल व्यय से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2016-17 में 0.149 से बढ़कर 2017-18 में 0.261 हो गया, जो कि मुख्य रूप से डिस्कॉम ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण है।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2016-17 में 50.88 प्रतिशत से 2017-18 में 49.76 प्रतिशत तक थोड़ा सा घट गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा भी 2016-17 में 1.73 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 1.61 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2016-17 में 12.50 प्रतिशत से 2017-18 में 15.45 प्रतिशत तक बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2016-17 में 1.80 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 1.87 प्रतिशत हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में संयुक्त रूप से वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2016-17 में 32.29 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 35.46 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2016-17 में 1.76 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 1.72 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटे (और ऋण) को न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को निवेशों पर पर्याप्त आमदनी और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने चाहिए न कि उन्हें बजट पर अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के रूप में डाला जाए। वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2018 के अंत पर ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2017-18 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 125.87 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 20 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 379.26 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.17 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 284.55 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2018 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.27 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2018 को पहले ही समाप्त हो चुकी थीं।

तालिका 1.27: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2018 तक कुल व्यय
सिंचाई	2	11.21	-	7.84
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	23	351.99	-	159.30
कुल	25	363.20	-	167.14

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 25 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि जून 2016 और मार्च 2018 के मध्य थी, परन्तु ये मार्च 2018 तक अपूर्ण थी परिणामस्वरूप ₹ 167.14 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी ने न केवल व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित किया।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 17,374.35 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.28)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.086 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2013-18 के दौरान अपने उधारों पर 8.78 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.28: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर संचित निवेश (₹ करोड़ में)	7,378.87	7,500.22	9,372.44	11,371.42	13,004.56	17,374.35
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	6.49	5.80	15.89	5.89	7.12	7.53
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.09	0.08	0.17	0.05	0.05	0.04
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.83	9.33	8.64	8.00	8.05	8.10
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.74	9.25	8.47	7.95	8.00	8.06
सरकारी उधारों पर ब्याज दर और निवेश पर रिटर्न के मध्य अंतर (₹ करोड़ में)	718.70	693.77	793.85	904.03		1,400.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

गत पांच वर्षों में निवेश पर आमदनी और सरकार की ऋण लागत के अंतर के हिसाब से सरकार को निवेश पर ₹ 4,510.72 करोड़ की अनुमानित आमदनी की हानि हुई। सरकार को सा.क्षे.उ. के पुनरुद्धार अथवा बंद करने के लिए एक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा निवेश 2013-14 से 2017-18 तक पांच वर्षों की अवधि में 135.46 प्रतिशत बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2013-14 में ₹ 6.49 करोड़ से 2017-18 में ₹ 7.53 करोड़ तक बढ़ गए। दूसरी ओर सरकार ने अपने उधारों पर 2013-18 के दौरान 8 से 9.83 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.04 और 0.17 के बीच रही।

राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 5,755.08 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 5,454.44 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे। इस प्रकार इन चार कंपनियों में कुल निवेश ₹ 16,000.41 करोड़ हो गया जो कि कुल निवेश का 92 प्रतिशत था।

₹ 13,392.99 करोड़ के कुल निवेश वाली 13 सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 30,946.75 करोड़ थी (परिशिष्ट 1.7)। तीन¹⁰ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 30,309.69 करोड़ की

¹⁰ 2016-17 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 16,078.07 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,951.74 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 279.88 करोड़)।

हानियों में सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत हिस्सा था।

राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान पाँच घाटे वाली कंपनियों में 5,473.78 करोड़ का निवेश किया। राज्य सरकार राज्य के सा.क्षे.उ., जो बड़ी हानियां उठा रहे हैं, के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार कर सकती है, उनके पुनरुद्धार या बंद करने के लिए, जैसा भी मामला हो, एक रणनीतिक योजना तैयार कर सकती है।

उदय के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) का वित्तीय बदलाव

भारत सरकार ने नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ की। उदय डिस्कॉमज को वित्तीय और परिचालन रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को कुल डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत हिस्सा आहरण करना था, जो कि 30 सितंबर, 2015 तक ₹ 34,600 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत ऋण और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आहरित किया जाना था।

राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (₹ 34,600 करोड़ का 75 प्रतिशत) का ऋण आहरण किया। 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ और 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ का ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भाग लेने वाले ऋणदाता बैंकों को बाँपड जारी करके लिया गया और राशियों को अनुदान के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया। राज्य सरकार ने वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) और डिस्कॉम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में मान्यता दी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों में से, राज्य सरकार ने ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में अत्यधिक वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बाँपडों पर ब्याज के रूप में ₹ 2,126.85 करोड़ का भुगतान किया।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किए जाते हैं। प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत तक चार उपक्रमों में ₹ 7,782.28 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था, परंतु जिनके खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। हरियाणा रोडवेज आठ वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 29 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए थे।

राज्य सरकार का तीन¹¹ विभागीय उपक्रमों में ₹ 7,763.49 करोड़ का कुल निवेश था, जिनकी संचित हानि ₹ 492.31 करोड़ थी।

¹¹ कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़, हरियाणा रोडवेज: ₹ 228.46 करोड़ तथा खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 263.84 करोड़।

1.8.5 सरकारी एवं निजी सांझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, राज्य सरकार ने सरकारी एवं निजी सांझेदारी माध्यम को अपनाया।

13 सरकारी एवं निजी सांझेदारी परियोजनाओं (परिशिष्ट 1.9) में से चार परियोजनाएँ पूरी हुईं और ₹ 6,059.58 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली नौ परियोजनाएँ 31 मार्च 2018 तक कार्यान्वयन अधीन थीं।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका 1.29, 31 मार्च 2018 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति के साथ तीन वर्षों में हुई ब्याज प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 1.29: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमाणा	2015-16	2016-17	2017-18	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	4,572	17,494		21,036
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	13,250	4,515	1,326	1,395
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	328	973	5,964	6,341
अंतिम शेष	17,494	21,036		16,090
का बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	5,187	4,667		16,090
निवल बढ़ोतरी	12,922	3,542	(-)4,638	(-)4,946
ब्याज प्राप्तियां	47	1,213	980	1,163
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.43	6.30	5.24	6.27
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	6.86	7.20	7.94	7.29
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.43	0.90	2.70	1.02

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

31 मार्च 2018 को बकाया ऋण और अग्रिमों में वर्ष के दौरान डिस्काँम ऋणों की ₹ 5,190 करोड़ की राशि को इक्विटी में बदलने के कारण 23.5 प्रतिशत की गिरावट आई। ₹ 2,110.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2017-18 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। फिर भी, इन शुगर मिलों को ₹ 200 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान ट्रांसमिशन और वितरण सेवाओं के लिए बिजली परियोजनाओं के लिए ₹ 887.48 करोड़ के नए ऋण दिए गए थे। 2015-16 और 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत जारी बांड्स के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2,126.85 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के नकद शेषों और उसके निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.30 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2018 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	426.19	(-)490.11
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	426.73	(-)489.57
नकद शेष निवेश लेखों में किया गया निवेश	2,554.85	2,084.53
कुल (ए)	2,981.58	1,594.96
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.92	2.81
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिन्हित निधियों का निवेश	2,673.64	2,819.57
कुल (बी)	2,676.68	2,822.50
कुल योग (ए) + (बी)	5,658.26	4,417.46

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 5,658.26 करोड़ से घटकर ₹ 4,417.46 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 2,554.85 करोड़ से घटकर ₹ 2,084.53 करोड़ हो गए। चिन्हित आरक्षित निधि शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2017 को ₹ 2,673.64 करोड़ से ₹ 145.93 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2018 को ₹ 2,819.57 करोड़ हो गया, जो मुख्य रूप से समेकित सिंकिंग फंड (₹ 133.46 करोड़) और गारंटी रिडेम्प्शन फंड (₹ 89.90 करोड़) में बढ़ोतरी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 77.43 करोड़) में कमी के कारण था।

वर्ष 2017-18 के लिए नकद शेष राशि, ₹ 5,527.08 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधियों के बराबर नहीं थी, जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान नकद शेष निवेशों से प्राप्त ₹ 94.89 करोड़ का ब्याज वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 161.32 करोड़) से ₹ 66.43 करोड़ तक घट गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2017-18 के दौरान ₹ 79.48 करोड़ का साधारण अर्थोपाय अग्रिम लिया गया था। 2017-18 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹ 0.02 करोड़ का भुगतान किया गया था। यद्यपि वर्ष 2017-18 के आरंभ में नकद शेष निवेश खाते में ₹ 2,554.85 करोड़ का शेष उपलब्ध था, सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान 7.26 और 8.45 प्रतिशत के मध्य ब्याज दर पर बाजार से ₹ 16,639.49 करोड़ की राशि के ऋण लिए। अंतिम शेष ₹ 2,084.53 करोड़ था।

1.8.8 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक एवं बिल लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख मध्यस्थ लेखा शीर्ष को निरूपित करता है। वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ तथा अंतिम शेष ₹ 0.05 करोड़ रहा।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2018 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत वर्ष की तदनुसूची स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। जबकि देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2013-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **तालिका 1.31** तथा **चार्ट 1.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.31: 2013-14 से 2017-18 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंतरिक ऋण	58,143	68,797	99,660	1,22,617	1,37,813
केंद्र सरकार से ऋण	2,151	2,128	2,049	1,986	1,941
लोक लेखा देयताएं	15,969	17,521	19,009	21,768	24,322
कुल	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076
वृद्धि दर	17.66	15.97	36.49	21.25	12.10
ब्याज भुगतान	5,850	6,928	8,284	10,542	11,961
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	200.63	216.78	253.84	278.82	261.71
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	1.36	2.18	2.20	2.05	0.62
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	19.10	20.24	24.85	26.84	26.97



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2013-14 में ₹ 76,263 करोड़ से 115.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2017-18 में ₹ 1,64,076 करोड़ हो गई इसके मुख्य कारण लोक ऋण (₹ 79,670 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 8,353 करोड़) में वृद्धि थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही जोकि 2013-14 में 19.10 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 26.97 प्रतिशत हो गई। 2017-18 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.62 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.27 गुणा थी। वर्ष 2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 11,961 करोड़ (राजकोषीय देयताओं का 7.29 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,64,076 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2017-18 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 1,41,854 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करने के पश्चात राजकोषीय देयताएं तथा स.रा.घ.उ. का अनुपात 26.97 प्रतिशत पर चौ.वि.आ. के 20.45 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण से अधिक था।

1.9.3 आरक्षित निधि

राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 आरक्षित निधियां परिचालित की गईं जैसा कि वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिया गया है। 'औद्योगिक विकास निधि' नामक एक निष्क्रिय आरक्षित निधि वर्ष के दौरान बंद की गई थी। विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित नौ आरक्षित निधियां थीं।

2017-18 के प्रारंभ में आरक्षित निधि ₹ 4,707.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 973.29 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 153.65 करोड़ के वितरण के बाद अंतिम शेष ₹ 5,527.08 करोड़ का था।

1.9.3.1 समेकित सिंकिंग निधि

राज्य सरकार ने बाजार ऋणों के भुगतान के लिए 2002 में समेकित सिंकिंग निधि स्थापित की। 1 अप्रैल 2017 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,641.03 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि में निवेश किया गया और ₹ 133.46 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। कोई संवितरण नहीं किया गया था और निधि का अंतिम शेष ₹ 1,774.49 करोड़ था। निधि के समापन शेष का बुक मूल्य अंकित मूल्य से ₹ 40.89 करोड़ अधिक था।

दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि में अंशदान किया जाना अपेक्षित है। सरकार ने 2017-18 के लिए समेकित सिंकिंग फंड में अंशदान देने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। इसलिए ₹ 811.80 करोड़ (पिछले वर्ष के अंत में बाजार ऋणों का एक प्रतिशत अर्थात् ₹ 81,180 करोड़) का अपेक्षित योगदान निधि में नहीं किया गया था।

1.9.3.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

एक प्रमुख आरक्षित निधि होने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में ₹ 1,621.65 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 254.25 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 84.75 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने

पूर्ववर्ती वर्षों के बकायों सहित निधि में ₹ 500.62 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। निधि के निवेश पर ₹ 6.59 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। राज्य सरकार ने ₹ 123.54 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध निधि में अनिवेशित शेष राशि पर वर्ष के दौरान ₹ 89.56 करोड़ का ब्याज प्रदान किया। अतः निधि को ₹ 33.98 करोड़ कम ब्याज मिला। विभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित ₹ 14.58 करोड़ की राशि भी वर्ष 2017-18 के दौरान निधि को हस्तांतरित कर दी गई। विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में से ₹ 77.90 करोड़ का व्यय किया तथा 2017-18 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 2,155.10 करोड़ था।

'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि' के संविधान और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों की धारा 18 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा रा.आ.प्र.नि. के निवेश के संबंध में निर्णय लिया जाना था। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में निधि को योगदान दिया गया था, कोई निवेश नहीं किया गया, जो कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

1.9.3.3 खान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि

यह निधि हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना द्वारा खनन क्षेत्र का पर्यावरण अनुरूप विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य में खनन स्थलों के पुनर्वास और पुनरुद्धार तथा क्षेत्र की एकोलोजी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों का बीड़ा उठाने के लिए स्थापित की गई थी। निधि को बिना ब्याज की आरक्षित निधि के अंतर्गत खोला गया था जबकि इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए। 31 मार्च को वित्त विभाग द्वारा निधि में ₹ 3.15 करोड़ प्रदान किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार खनन स्थलों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास पर व्यय निधि पर पहला प्रभार रहेगा।

1 अप्रैल 2017 को ₹ 55.02 करोड़ का आरंभिक शेष निधि में पड़ा था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने डेड रेंट/रायल्टी/संविदा धन के लिए ठेकेदार से ₹ 468.86 करोड़ की राशि और रियायत धारियों से 'अन्य प्रभारों' के तौर पर ₹ 42.53 करोड़ की राशि प्राप्त की। राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों से प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर अंशदान करना होता है। ₹ 23.44 करोड़ (₹ 468.86 करोड़ का पाँच प्रतिशत) और ₹ 42.53 करोड़ 'अन्य प्रभारों' को मिलाकर ₹ 65.97 करोड़ निधि में हस्तांतरित किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में ₹ 52.50 करोड़ हस्तांतरित किए। अतः ₹ 13.47 करोड़ का कम योगदान है। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.30 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ब्याज के रूप में ₹ 3.15 करोड़ जमा किए गए थे जिससे निधि को ₹ 0.15 करोड़ का कम ब्याज मिला। वर्ष के दौरान निधि से केवल ₹ 0.01 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके आरंभ अर्थात् जुलाई 2015 से मार्च 2018 तक सरकार द्वारा राज्य में खनन स्थलों के विकास बहाली और पुनर्वास के लिए निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 के अंत में निधि में शेष ₹ 110.66 करोड़ था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था।

1.9.3.4 गारंटी रिडंपशन निधि


सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2002-03 में गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। निधि के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक अथवा

आवधिक अंशदानों के साथ एकत्र की गई गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा निधि में हस्तांतरित की जानी अपेक्षित है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,042.78 करोड़ का शेष था (₹ 8,260 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 12.62 प्रतिशत) जोकि निवेशित रहा। सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 14.17 करोड़ का योगदान निवेश पर अर्जित ₹ 75.73 करोड़ के ब्याज सहित निधि में दिया। 2017-18 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 1,78,263 करोड़ (₹ 1,64,076 करोड़ + ₹ 14,187 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 29.30 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 89.90 करोड़ की निधियां सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी। निधि के अंतिम शेष का बुक मूल्य, अंकित मूल्य से ₹ 56.91 करोड़ अधिक था।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की सूरत में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।


वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और कुल प्राप्तियों की बकाया गारंटियों की स्थिति चार्ट 1.17 और 1.18 में दी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2018 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 14,187 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 4,204 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 857 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 9,126 करोड़) के संबंध में थी।

चार्ट 1.19: 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर गारंटियों के क्षेत्रवार विवरण (₹ करोड़ में)



स्रोत: राज्य वित्त लेखा

चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया गारंटी राज्य की कुल प्राप्तियों का 30 प्रतिशत थी जोकि अन्य राज्यों जैसे कि राजस्थान (8 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (5 प्रतिशत) से बहुत अधिक थी। लेखापरीक्षा का मत है कि राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अंतर्गत एक सीमा तय करने के लिए विचार किया जा सकता है।

1.10 ऋण प्रबंधन


तालिका 1.32 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक ऋण प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.32: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86
2016-17	99,660.13	28,046.26	5,089.52	1,22,616.87	22,956.74	23.04
2017-18	1,22,616.87	21,348.75	6,153.25	1,37,812.37	15,195.50	12.39

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

बाजार ऋण राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें ब्याज दर 7.26 से लेकर 8.45 प्रतिशत तक है। 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹ 16,640 करोड़ (₹ 21,270 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण में से) के नए बाजार ऋण लिए। ₹ 6,074 करोड़ के आंतरिक ऋण के कुल पुनर्भुगतान में से ₹ 800 करोड़ का पुनर्भुगतान बाजार ऋणों का था। 31 मार्च 2018 को ₹ 1,37,812 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋण में से ₹ 97,020 करोड़ के बाजार ऋण थे। वर्ष के दौरान बाजार ऋण की निवल वृद्धि 19.51 प्रतिशत (₹ 15,840 करोड़) थी।



स्रोत: राज्य वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹ 48,681 करोड़ से ₹ 89,132 करोड़ (183 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2017-18 में बढ़कर ₹ 1,37,812 करोड़ हो गया। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 10,578 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का संकेत देते हैं। यह सैक्शन बकाया ऋण वृद्धि की दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.33, 2013-14 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.33: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया लोक ऋण	60,293.96	70,925.30	1,01,709.05	1,24,602.73	1,39,753.64
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	19.02	17.63	43.40	22.51	12.16
स.रा.घ.उ.	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण	15.10	16.23	20.94	22.85	22.97
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक ऋण का आ.शे.+लोक ऋण का अं.शे./2)	8.92	9.14	7.61	8.17	8.08
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	13.02	14.70	13.81	17.61	17.04
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	46.69	43.62	18.99	18.73	29.50
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण #	4,687	4,633	24,217	13,647	4,469
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार उपलब्ध निवल ऋण	26.62	24.57	63.73	48.45	20.80

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण का ब्याज भुगतान का आधिक्य राज्य के पास उपलब्ध शुद्ध ऋण है।

2013-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 131.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 में ₹ 60,294 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 1,39,754 करोड़ हो गए। 2013-14 से 2017-18 की अवधि पर वृद्धि की दर 12.16 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक ऋण में 2017-18 में 12.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जोकि गत वर्ष में 22.51 प्रतिशत थी।

2013-18 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.34: उधार ली गई निधियों का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	राजस्व व्यय (प्रतिशतता)
2013-14	17,604.16	7,968.47 (45)	3,924.71 (22)	513.76 (3)	5,197.22 (30)
2014-15	18,858.75	8,227.41 (44)	3,696.79 (20)	570.05 (3)	6,364.50 (33)
2015-16	37,998.43	7,214.68 (19)	6,878.35 (18)	12,922.01 (34)	10,983.39 (29)
2016-17	28,169.52	5,275.84 (19)	6,836.83 (24)	3,541.68 (13)	12,515.17 (44)
2017-18	21,489.76	6,338.85 (29)	8,308.03 (39)	243.96 (1)	6,598.92 (31)
कुल	1,24,120.62	35,025.25 (28)	29,644.71 (24)	17,791.46 (14)	41,659.20 (34)

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, सरकार राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर निर्भर रही। 2017-18 के दौरान, ₹ 6,599 करोड़ का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 31 प्रतिशत है।

2013-18 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को चार्ट 1.22 में दर्शाया गया है।




स्रोत: वित्त लेखे

2013-18 के दौरान, स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण की वार्षिक वृद्धि दर अधिक थी जैसा कि चार्ट 1.23 में दर्शाया गया है।

राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2013-14 में 13.02 प्रतिशत था जोकि 2017-18 में बढ़कर 17.04 प्रतिशत (चार्ट 1.24) हो गया जो दर्शाता है कि लोक ऋण


पर ब्याज भुगतान बढ़ रहा था परिणामस्वरूप विकास के लिए निधियों की कम उपलब्धता थी।



ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

ऋण परिपक्वता प्रोफाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

चार्ट 1.25: ऋण परिपक्वता प्रोफाइल




स्रोत: वित्त लेखे

मार्च 2018 तक कुल बकाया ऋण ₹ 1,39,869.21¹² करोड़ था। 31 मार्च 2018 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 58 प्रतिशत (₹ 80,976 करोड़) सात साल तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और बाकी ₹ 58,893 करोड़ (42 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है।

¹²

मैच्योरिटी प्रोफाइल और शेषों के मध्य ₹ 115.57 करोड़ का अंतर है जो मिलान के अधीन था।

ब्याज के साथ बाजार ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची चार्ट 1.26 में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋणों की समाप्ति हो रही है।

राज्य द्वारा 2022-23 तक पांच वर्षों में ₹ 27,432 करोड़ के बाजार ऋण (31 मार्च 2018 को कुल बकाया बाजार ऋणों का 28 प्रतिशत) के साथ-साथ ₹ 37,100 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। ₹ 69,586 करोड़ का शेष बाजार ऋण (31 मार्च 2018 को कुल बकाया बाजार ऋणों का 72 प्रतिशत) अनुवर्ती पांच वर्ष की अवधि में 2027-28 तक ₹ 14,194 करोड़ के ब्याज के साथ चुकाना होगा।



इसका अर्थ यह है कि राज्य को अगले पांच वर्षों में वर्तमान बाजार ऋणों का सालाना ₹ 12,906 करोड़ का पुनर्भुगतान करना होगा जो पाँच वर्षों की अनुवर्ती अवधि में प्रतिवर्ष ₹ 16,756 करोड़ हो जाएगा, जबकि बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान स्तर वर्तमान में ₹ 7,766 करोड़ है। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से बहुत कम हैं और राज्य को अपनी ऋण देयताओं के प्रबंधन के लिए अधिक निधियाँ उधार लेनी होंगी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलों की सीमा को तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.27 तथा चार्ट 1.28 2013-18 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व घाटा जो 2016-17 के दौरान ₹ 15,906 करोड़ था घटकर ₹ 10,562 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 10,562 करोड़ का राजस्व घाटा ₹ 11,125 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम था। 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत था।

तथापि, ₹ 10,562 करोड़ का राजस्व घाटा दर्शाता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की बजाय मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

- राजकोषीय घाटा जो 2016-17 में ₹ 26,285 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹ 19,114 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली ऋण आहरण करने के लिए 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के बांड जारी करने का प्रभाव) तक कम हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 2.84 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)। बल्कि उदय स्कीम के अंतर्गत आहरित ऋण को अनदेखा करने पर भी वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 2.79 प्रतिशत था जोकि म.अ.वि.नी.वि. में नियत की गई 2.61 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

- **प्राथमिक घाटा** जो 2013-14 में 2,464 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया और 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ हो गया (2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ के बांड और 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के बांड जारी करने का प्रभाव उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली ऋण आहरित करने के लिए) प्राथमिक घाटा 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अस्तित्व दर्शाता है कि राज्य को अपने उधार लिए गए धन पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।
- **प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियां किस हद तक पूंजी खाते पर व्यय को पूरा करने में सक्षम थीं। 2017-18 में, राज्य ने ₹ 7,780 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। यह पूंजीगत व्यय का 57 प्रतिशत था अर्थात् इस सीमा तक प्राथमिक राजस्व शेष पूंजीगत व्यय (₹ 13,538 करोड़) के लिए उपलब्ध था।

राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्व और राजकोषीय घाटों को क्रमशः ₹ 878.20 करोड़ और ₹ 1,987.82 करोड़ कम दिखाया गया इसका कारण समेकित सिंकिंग निधि में योगदान न करना, ब्याज के अल्प समायोजन और निर्धारित राशि को व्यय के लिए उपयोग करना है जैसा कि तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: प्रभावी राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		शुद्ध प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.	आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.
नई पेंशन स्कीम में कम योगदान	19.50	19.50				
समेकित सिंकिंग निधि में योगदान न करना	811.10	811.10				
खदान और खनिज विकास बहाली और पुनर्वास निधि में कम योगदान	13.47	13.47				
खदान और खनिज विकास बहाली और पुनर्वास निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	0.15	0.15	1.74	3.14	1.88	3.47
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	33.98	33.98				
निर्धारित निधियों का व्यय के लिए उपयोग	-	1,109.62				
कुल	878.20	1,987.82				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त कारणों से राज्य सरकार का राजस्व और राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ। राजकोषीय घाटा 0.14 प्रतिशत प्वाइंट तथा राजकोषीय घाटा 0.33 प्रतिशत प्वाइंट कम दर्शाया गया है।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

तालिका 1.36 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2017-18 के दौरान राजकोषीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.37 में दिए गए हैं।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479	(-)26,285	(-)19,114
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 3,875	(-) 8,319	(-) 11,679	(-)15,906	(-)10,562
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,925	(-) 3,697	(-) 6,878	(-)6,837	(-)13,498
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 514	(-) 570	(-) 12,922	(-)3,542	4,946
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार ऋण	10,621.36	12,372.99	13,168.29	15,358.98	15,839.49
2 भा.स. से ऋण	173.08	(-) 22.98	(-) 78.91	(-)63.06	(-)44.59
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	28.07	707.45	1,012.11	(-)947.05	(-)954.14
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)1,186.82	(-)2,426.12	16,682.26	8,544.81	310.15
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	720.99	1,041.05	1,048.64	1,114.88	1,226.32
6 आरक्षित निधि	2.29	38.97	70.72	1,646.31	673.72
7 जमा एवं अग्रिम	1,086.43	471.42	369.27	(-)2.12	653.55
8 उचंत एवं विविध	(-) 3,948.95	1,145.54	(-) 1,583.19	1,734.84	518.78
9 प्रेषण	(-) 0.25	(-) 13.89	(-) 19.15	57.66	(-)25.09
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	7,496.20	13,314.43	30,670.04	27,445.25	18,198.19
11 नकद शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 817.28	(-) 728.38	(+) 809.47	(-)1,160.13	916.30
12 सकल राजकोषीय घाटा	8,314	12,586.05	31,479.51	26,285.12	19,114.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

तालिका 1.37: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार ऋण	16,639.49	800.00	15,839.49
2 भा.स. से ऋण	141.01	185.60	(-)44.59
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां		954.14	(-)954.14
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,629.78	4,319.63	310.15
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,342.50	2,116.18	1,226.32
6 जमा और अग्रिम	20,579.87	19,926.32	653.55
7 रिजर्व निधियां	1,050.73	377.01	673.72
8 उचंत एवं विविध	80,453.32	79,934.54	518.78
9 प्रेषण	8,098.05	8,123.14	(-)25.09
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,34,934.75	1,16,736.56	18,198.19
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)	Dr.426.73	Cr.489.57	916.30
12 कुल राजकोषीय घाटा	1,35,361.48	1,16,246.99	19,114.49

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2017-18 में राजकोषीय घाटा काफी हद तक बाजार ऋण (83 प्रतिशत), राज्य भविष्य निधि (छ: प्रतिशत) और बाकि अन्य स्रोतों से पोषित किया गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.38) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.38: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2013-14	38,284	36,037	3,935 (9.66)	776	40,748	2,247	(-) 2,464
2014-15	41,091	42,190	3,716 (7.95)	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658
2015-16	47,915	50,952	6,908 (9.71)	13,250	71,110	(-) 3,037	(-) 23,195
2016-17	53,496	57,861	6,863 (9.91)	4,515	69,239	(-) 4,365	(-) 15,743
2017-18	69,076	61,296	13,538 (17.76)	1,395	76,229	7,780	(-)7,153

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्राथमिक व्यय से पूंजी व्यय का प्रतिशत इंगित करते हैं)

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्ति और ऋण एवं अग्रिम की वसूली शामिल है जो 2013-14 से 2017-18 तक 80.43 प्रतिशत बढ़ी और 2017-18 के दौरान प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2013-14 में ₹ 2,247 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्राथमिक राजस्व घाटे में बदल गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान स्थिति फिर से बदल कर प्राथमिक राजस्व अधिशेष हो गई जो कि ₹ 7,780 करोड़ थी।
- प्राथमिक घाटा जो 2013-14 में ₹ 2,464 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया, 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ तथा 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया।

तालिका 1.39: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 3,875 (47)	(-) 8,319 (66)	(-) 11,679(37)	(-)15,906 (61)	(-)10,562 (55)
निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,925 (47)	(-) 3,697 (29)	(-) 6,878 (22)	(-)6,837 (26)	(-)13,498 (71)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 514 (6)	(-) 570 (5)	(-) 12,922 41)	(-)3,542 (13)	4,946
राजकोषीय घाटा	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479	(-)26,285	(-)19,114

कोष्ठकों में आंकड़े राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता इंगित करते हैं

वर्ष के दौरान, 2016-17 की तुलना में राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार हुआ है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2016-17 में 61 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 55 प्रतिशत हो गया। फिर भी राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का उच्च अनुपात इंगित करता है कि वर्तमान व्यय का एक बड़ा हिस्सा उधार ली गई निधियों से पूरा किया जा रहा है। 2017-18 के दौरान निवल पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता राजकोषीय घाटे के 71 प्रतिशत तक बढ़ गई। तथापि, निवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि डिस्कॉमज के ऋणों को इक्विटी में बदलने के कारण है जो कि खातों की विंडो ड्रेसिंग के समान है क्योंकि सरकार द्वारा वास्तविक निवेश नहीं किया गया और वास्तव में विफल लागत है।

चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत था।

1.12 निष्कर्ष

राज्य, राजकोषीय सुधार पथ पर है। तथापि, राज्य ने अभी तक रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया है जैसाकि चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित किया गया है। यह राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे की मात्रा में गिरावट आई है। राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 30 प्रतिशत से घटकर 2017-18 के दौरान 17 प्रतिशत रह गया।

राज्य का प्राथमिक घाटा 2016-17 में स.रा.घ.उ. के 2.89 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 1.18 प्रतिशत हो गया।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 3,068.82 करोड़ की प्राप्तियां 2011-17 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2017-18 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल व्यय ने राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडी (₹ 8,446 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 7,624 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 6,675 करोड़ (97 प्रतिशत) तक बढ़ गया। इसका मुख्य कारण उदय स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में बदलना था। 2016-17 तक तीन डिस्कोमज की संचित हानियां ₹ 30,310 करोड़ थी।

राजस्व घाटा 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 10,562 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2016-17 में क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ और ₹ 15,743 करोड़ रही, 2017-18 में क्रमशः ₹ 19,114 करोड़ (73 प्रतिशत) और ₹ 7,153 करोड़ (45 प्रतिशत) तक कम हो गईं।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को ₹ 1,64,076 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 26.97 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.62 गुणा थी।

2017-18 की समाप्ति पर ₹ 4,417 करोड़ का नकद शेष ₹ 5,527 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

राज्य सरकार ने एस.डी.आर.एफ. और खदानों एवं खनिजों के रेस्टोरेशन और पुनर्वास के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,266 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ₹ 2,407 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार के आंतरिक ऋण 2016-17 में ₹ 1,22,617 करोड़ से बढ़कर 2017-18 के दौरान ₹ 1,37,813 करोड़ (12.39 प्रतिशत) हो गए। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 10,578 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2017-18 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।